दिनांक 17.05.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

बी.पी.एल श्रेणी के सदस्यों को मिलेंगा स्मार्ट मोबाईल कल से सर्वे शुरू

भिलाईनगर/ छ.ग. शासन की महत्वकांक्षी योजना के अनुसार भिलाई नगर निगम, क्षेत्र के वर्ष 2007–08 में जारी बी.पी.एल. सूची के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के महिला मुखिया सदस्य को मिलेंगा स्मार्ट मोबाईल सर्वे, कल से 18 मई से 25 मई तक हितग्राहियों का सर्वे कर सूची प्रस्तुत करना है। इसके लिए निगम आयुक्त के.एल. चौहान द्वारा क्षेत्र में काम करने वाले निगम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया प्रत्येक वार्ड के प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर निगम के अधिकारी/कर्मचारी बैठेगें वहीं पर आवेदक आ करके फार्म भरेगें साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड की फोटो कॉपी देना अनिवार्य होगा।

आयुक्त चौहान ने बताया कि निगम क्षेत्र में 2007–08 में कुल पुराने 67 वार्ड थे। उसकी के अनुसार सर्वे सूची बनी है। पुराने वार्ड के अनुरूप ही अधिकारी/कर्मचारी संबंधित वार्ड में बैठेगें जिन शहरी–गरीब हितग्राहियों का नाम सर्वे सूची में नहीं है। प्रमाणित होने के बाद उन्हें उनके परिवार महिला सदस्य को भी नियमानुसार मोबाईल प्रदान किया जावेंगा। निगम क्षेत्र में कुल 70,686 बी.पी.एल. हितग्राही है। सभी का फार्म 25 तारीख तक अवश्य भरा जाना है। आयुक्त चौहान ने सभी कर्मचारियों से कहा है, कि इस कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जाये। ''छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना'' शहरी गरीब परिवार एवं कॉलेज के युवाओं को निःशुल्क मोबाईल फोन उपलब्ध कराये जाएंगे। योजना से लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को एक स्मार्ट मोबाईल फोन एवं सिम कार्ड निःशुल्क प्रदान किया जाएंगा। जिसमें जीओ सिम के साथ 01 जीबी मोबाईल डेटा प्रतिदिन के अनुसार से मिलेंगा। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का संदेश है वर्तमान दौर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी का दौर है इस दौर में सूचनाओं का अपना महत्व है। सही जानकारी सही समय पर होना बेहद जरूरी है मोबाईल वितरण का उद्देश्य भी सबको सूचना क्रांति से जोड़ना है। प्रदेशवासी शहरी ग्रामिण दूर–दराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को शासन की कल्याणकारी योजनों की जानकारी तत्वरित हो सकें। ताकि योजना का लाभ सभी को आसानी से मिल सकें।

इस अवसर पर निगम के सभी जोन आयुक्त, सभी जोन के नोडल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।

जन सम्पर्क अधिकारी